Regarding resolving anomalies in EPS-95 Scheme-Laid

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे **(शिर्डी) :** ईपीएस-95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में विगत एक दशक से ज्यादा समय से देशभर में संघर्ष कर आमरण अनशन कर रहे हैं । लेकिन, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर रही है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन हो रहा है ।

कर्मचारी पेंशन योजना 16 नवंबर 1995 को लागू हुई. यह योजना कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, जिन पर 1952 विविध प्रावधान अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि लागू होते हैं । ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है । कर्मचारी पेंशन योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद लाभ पहुंचाना है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ईपीएस-95 की कमियों को दूर करते हुए कर्मचारियों के हित में सकारात्मक कार्यवाही करें, ताकि उन्हें इसका पूरा लाभ मिल सके ।